अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री छोटूलाल गुर्जर श्री कन्हैयालाल माली/जुगराज सैनी 1,2 हसन खान 7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
19.02.2026	बोदी देवी बनाम गीता वगैरह (2026/52) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 एवं 07 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। बहस अधूरी रही। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन (पार्ट हर्ड) दिनांक 20.02.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
20.02.2026	पत्रावली वास्ते पार्ट हर्ड बहस पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 13.03.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
13.03.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 20.02.2026 को प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 132/2025 के विरूद्ध पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच जगदीश बनाम भोपालाराम में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपील को एडमिशन स्तर पर ही खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा जरिये अपील अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने की चेष्ठा रखते हुए अपील पेश की है परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में भू प्रबंध विभाग द्वारा नक्शें एवं सीमाज्ञान में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के आदेश दिनांक 30.01.2025 अपील संख्या 10/2024 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त मु0 जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील संख्या 1363/2025 दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील को दर्ज कर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया है। इसलिए जब तक वादग्रस्त आराजीय एवं संबंधित आराजीयात के संबंध में विधिवत सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है जिससे भी अपीलांट को उक्त अपील इसी स्तर पर निरस्त की जानी आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय नहीं होने के कारण उक्त अपील को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध अपील ही पोषणीय है, रिविजन का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति वास्ते प्रश्नगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने बाबत सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर की गई बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र, अपील तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने अपील की पोषणीयता के संबंध मेंअपीलांट द्वारा प्रस्तुत 2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहें वो अंतरिम हो या अंतिम अपील योग्य है।

तथा 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है।

ततपश्चात हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोष एवं सद्भाविक प्रतीत होने से प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

ततपश्चात हम प्रार्थना पत्र स्थगन का निस्तारण करना उचित समझते

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अपीलांट जो कि रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत उसे सुनवाई का समुचित समय दिया जाना चाहिए था, विधि यह सुस्थापित है कि रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी तरह की काई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर आदेश दिनांक 22.07.2025 पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हे। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 22.07.2025 की क्रियान्विति को स्थगित रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में भू प्रबंध विभाग द्वारा नक्शें एवं सीमाज्ञान में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के आदेश दिनांक 30.01.2025 अपील संख्या 10/2024 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त मु0 जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील संख्या 1363/2025 दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील को दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया है। इसलिए जब तक वादग्रस्त आराजीय एवं संबंधित आराजीयात के संबंध में विधिवत सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश मय अपील इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2025 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी पेशी दिनांक 07.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात अभिभाषक प्रार्थी को प्रकरण में निरंतर तारीख पेशी दी जाती रही है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच राजस्व नक्शें में कथित तौर पर हुई त्रुटि हेतु वाद विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण बाद साक्ष्य गुणावगुण पर किया जाना है। यदि राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण है तो उसमें परिवर्तन किये जाने पर सम्पूर्ण नक्शा परिवर्तित होगा। किन्तु राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया खसरा नम्बर 1127/25 रकबा 2.49 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0100 है0 की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। स्थगन आदेश से अपीलांट जो कि एक रिकॉर्डेड खातेदार है राज्य सरकार की योजनाओं एवं कृषि आराजीयात के लाभ लेने से वंचित रहना भी प्रतीत होता है। एक रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होना पाया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1410

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पेश किये जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि :– **No** T.I. can be granted against the recorded khatedar. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में एक रिकॉर्डेड खातेदार–काश्तकार को बिना किसी विधिक कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रकरण में 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

13/2/26

1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय

अजमेर कैम्प कोर्ट दूदू जिला जयपुर राज0

राजस्व अपील संख्या ..... 52 /26

2026/52

बोदी देवी पत्नी प्रभूनारायण जाति रैगर निवासी पचार तहसील झोटवाडा जिला जयपुर राज0।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. गीता देवी पत्नी ईश्वरलाल जाति रैगर निवासी विंदायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
2. सरिता पत्नी रामकिशोर जाति रैगर निवासी विंदायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
3. विजय कुमार पुत्र नन्दाराम जाति बैरवा निवसी चन्द्रभानपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. सुन्दरी देवी पत्नी मांगूरामा जाति जाट निवासी 278 बिंदायका विजयपुरा बास नानसुर तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
5. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी 15 नंदगांव रेलवे स्टेशन धानक्या तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
6. गोविन्दनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी 15 नंदगांव रेलवे स्टेशन धानक्या तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
7. रामा कंवर पत्नी जयसिंह जाति चारण निवासी 20 मुंडिया रामसर तहसील झोटवाडा जयपुर राज0।
8. दीनदयाल पुत्र आनन्दीलाल जाति रैगर निवासी विंदायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।

52/2026
3.2.2026

Scanned with CamScanner

9. वृजमोहन पुत्र आनन्दीलाल जाति रैगर निवासी विंदायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
10. पूरण पुत्र आनन्दीलाल जाति रैगर निवासी विंदायका तहसील जयपुर जिला जयपुर राज0।
11. पूनम पुत्री आनन्दीलाल जाति रैगर निवासी विंदायका हाल पत्नी भींवाराम जाति रैगर निवासी रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।
12. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
13. दीपक वर्मा पुत्र छोटीलाल वर्मा जाति बलाई निवासी 224 बोडी कोठी झोटवाडा जयपुर राज0।

-- रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 22/07/2025, प्रार्थना-पत्र संख्या 132/2025 उनवानी गीता देवी वगै0 बनाम बोदी देवी वगै0 में प्रार्थी/अपीलार्थी की आराजीयात पर स्थगन आदेश जारी कर दिया के विरूद्ध

श्रीमानजी,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ सादर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणात्मक, तरमीम दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 व 12 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1226/25 रकबा 1.2700 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चन्द्रभानपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वर्तमान प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खातेदार काश्तकार होकर मौके पर प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करते आ रहे है तथा आराजी खतौनी संख्या 67

Scanned with CamScanner